बिहार सरकार

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

आदेश

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार के नियंत्रणाधीन कार्यरत श्री इमदादुल हक, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, जिनके विरूद्ध जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत) गोपालगंज के पत्रांक 307 दिनांक 06.04.2013 द्वारा पंचायत आम चुनाव 2011 के दौरान प्रभारी पदाधिकारी मतपत्र पैकेटिंग कोषांग, के रूप में गोपालगंज प्रखण्ड अन्तर्गत, ग्राम पंचायत- राज कोन्हवा के मतदान केन्द्र संख्या- 92 के मतपत्रों को गायब करने का आरोप प्रतिवेदित कर विभाग को उपलब्ध कराया गया है, को समीक्षोपरान्त प्रमाणित आरोप एवं राजनिति से प्रेरित होकर मतपत्रों को गायब करने के आरोप में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(1)(क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है ।

2. निलम्बन अवधि में श्री इमदादुल हक का मुख्यालय जिला आपूर्ति कार्यालय, गोपालगंज रहेगा ।

3. निलम्बन अवधि में श्री हक को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा ।

24/4/2013

(सुरेश ठाकुर)

सरकार के संयुक्त सचिव ।

ज्ञापांक-प्र08गो0वि0गोपालगंज-16/2013 2658 /खाद्य,पटना/दिनांक 24/4/2013

प्रतिलिपि- जिला पदाधिकारी, गोपालगंज/जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज/प्रशाखा पदाधिकारी-03/श्री अफजल आजमी, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा श्री इमदादुल हक, निलम्बित प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, गोपालगंज सदर, सम्प्रति निलम्बन अवधि में जिला आपूर्ति कार्यालय, गोपालगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

24/4/2013

सरकार के संयुक्त सचिव ।

D:\backup\Year_2012(p)\section_8(P)\Nov_11)\Off_ord..doc